आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक 16.10.2024 को 12:00 बजे अपराह्न में आयोजित प्राधिकार के बैठक की कार्यवाही।

कार्यावली सं0– 01

प्राधिकार की गत बैठक दिनांक 28.09.2024 के कार्यवाही के अनुपालन पर विचार :–

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं0–02

प्राधिकार की बैठक दिनांक –28.09.2024 के बाद निर्गत राष्ट्रीय परमिट का ब्यौरा :–

(क) राष्ट्रीय परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

(ख) कुल–**07** प्राधिकरण–पत्र निर्गत किए गये हैं।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं0–03

प्राधिकार की बैठक दिनांक–28.09.2024 के बाद निर्गत पीक अप भान/ट्रक के स्थाई परमिट/अस्थायी परमिट का ब्यौरा :–

(क) ट्रक/पीक अप भान का स्थाई परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं0–04

प्राधिकार की बैठक दिनांक –28.09.2024 के बाद बस/मिनी बस/सिटी राईड आदि के निर्गत अस्थाई परमिट का ब्यौरा :–

बस/मिनी बस/सिटी राईड के कुल–**116** (दिनांक 15.10.24 तक) EXCURSION परमिट निर्गत किए गए हैं।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं0–05.

प्राधिकार की बैठक दिनांक–28.09.2024 के बाद बस/मिनी बस/सिटी राईड आदि के स्थाई परमिट की स्वीकृति पर विचार:–

दिनांक–**16.10.2024** तक बस/मिनी बस के कुल **14** स्थायी परमिट की स्वीकृति पर विचार किया गया:–

क्र0	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं0 / वाहन का प्रकार एवं मॉडल / वर्ष	मार्ग का नाम	आपत्ति / अभियुक्ति	निर्णय
1	2	3	4	5	6
1	बिनोद कुमार यादव	BR11E-6777 (बस) 2008 Cap-33	फलका से कटिहार कुल खेप–01 कुल दूरी–64	अप्राप्त	स्वीकृत
2	बिनोद साह	BR10PA-4134 (बस) 2013 Cap- 50	पूर्णिया से भागलपूर कुल खेप–02 कुल दूरी–340	अप्राप्त	स्वीकृत
3	कुणाल कुमार यादव	BR11PD-0822 (बस) 2024 Cap- 45	फलका से कटिहार कुल खेप–04 कुल दूरी–256	अप्राप्त	स्वीकृत
4	लक्ष्मी देवी	BR11RA-9439 (बस) 2024 Cap- 45	किशनगंज से पुर्णिया कुल खेप–02 कुल दूरी–480	अप्राप्त	स्वीकृत
5	मो0 मुस्तफा अली	BR11PD-0385 (बस) 2024 Cap- 45	पूर्णिया से रौटा कुल खेप–03 कुल दूरी–318	अप्राप्त	स्वीकृत
6	अरूण कुमार	BR11PB-9972 (बस) 2019 Cap- 42	फलका से कटिहार कुल खेप–04 कुल दूरी–256	अप्राप्त	स्वीकृत

7	तपन साह	BR37P-5320 (बस) 2024 Cap- 41	किशनगंज से गलगलिया कुल खेप–03 कुल दूरी–402	अप्राप्त	**स्वीकृत**
8	कुमार गौरव	BR11PC-8994 (बस) 2023 Cap- 42	सिकटी से भागलपुर डिक्सन मोड़ कुल खेप–01 कुल दूरी–348	अप्राप्त	**स्वीकृत**
9	भागस यादव	BR10PA-1670 (बस) 2013 Cap- 42	पूर्णिया से भागलपुर कुल खेप–02 कुल दूरी–340	अप्राप्त	**परमिट की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि 15 वर्ष पूरा होने से एक माह पूर्व वाहन स्वामी अपने वैध वाहन से अपने परमिट का प्रतिस्थापन करा लेंगे।**
10	अजय कुमार	BR11PA-4442 (बस) 2016 Cap- 41	पूर्णिया से रौटा कुल खेप–03 कुल दूरी–318	अप्राप्त	**स्वीकृत**
11	कुमार राज	BR11PD- 0335 (बस) 2024 Cap- 41	रूपौली से पूर्णिया कुल खेप–03 कुल दूरी–330	आवेदक द्वारा अपने पिता निलेश कुमार चौधरी के स्वामित्व के वाहन सं0–BR11T9101 के पक्ष में निर्गत स्थाई परमिट सं0–BR2021-SC-1943A में अंकित समय–सारणी पर स्थाई परमिट निर्गमन का अनुरोध किया गया है। वाहन सं0–BR11T9101 के वाहन स्वामी निलेश कुमार चौधरी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र दिया गया है कि वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं0–BR2021-SC-1943A को प्रत्यार्पित कर इसमे अंकित समय–सारणी उनके पुत्र के वाहन सं0 BR11PD-0335 को देने में इन्हे कोई आपत्ति नहीं है।	**वाहन सं0–BR11T9101 के वाहन स्वामी के अनुरोध पर विहित शूल्क प्राप्त कर स्थायी परमिट सं0– BR2021-SC-1943A के प्रत्यार्पण की स्वीकृति दी जाती है और इसमें अंकित समय सारणी पर वाहन सं0– BR11PD- 0335 के स्थायी परमिट निर्गमन की स्वीकृति दी जाती है।**

12	निलेश कुमार चौधरी	BR11PD- 0336 (बस) 2024 Cap- 41	रूपौली से पूर्णिया कुल खेप–03 कुल दूरी–330	वाहन सं0–BR11T-5918 के वाहन स्वामी निलेश कुमार चौधरी द्वारा वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं0–BR2021-SC-1942A को प्रत्यार्पित करते हुए इसमे अंकित समय–सारणी पर नया स्थायी परमिट चाहते है।	**वाहन स्वामी के अनुरोध पर इनसे विहित शुल्क प्राप्त कर स्थायी परमिट सं0–BR2021-SC-1942A के प्रत्यार्पण की स्वीकृति दी जाती है और इस परमिट में अंकित समय सारणी पर इनके वाहन सं0–BR11PD-0336 के स्थायी परमिट निर्गमन की स्वीकृति दी जाती है।**
13	निलेश कुमार चौधरी	BR11T-9101 (बस) 2015 Cap- 43	फलका से कटिहार कुल खेप–04 कुल दूरी–256	वाहन सं0–BR11PC1677, BR11PC5283, BR07PA7156 एवं BR39G4220 के वाहन स्वामी द्वारा गेराबाड़ी मध्य बिन्दु पर 2 मिनट के समय अंतराल रखने पर आपत्ति दी गई है। इनके द्वारा प्रस्थान बिन्दु पर 10 मिनट एवं मध्य बिन्दु पर 8 मिनट के अंतराल की मांग की गई है। क्योकि फलका–कटिहार मार्ग पर मात्र एक बिन्दु गेराबाड़ी है।	**गेराबाड़ी प्रस्थान बिन्दु–09:50, 12:18, 13:59 एवं 15:48 से संशोधित कर एक सप्ताह हेतु समय–सारणी प्रकाशित करायी जाएगी। आपत्ति प्राप्त नही होने पर परमिट निर्गत कर दी जाएगी। आपत्ति प्राप्त होने पर प्राधिकार के अगली बैठक में सुनवाई हेतु रखा जाएगा। इसे भविष्य के लिए उद्धरण रूप में नहीं समझा जाय।**
14	निलेश कुमार चौधरी	BR11T-5918 (बस) 2014 Cap- 41	फलका से कटिहार कुल खेप–04 कुल दूरी–256	BR11PC-1677,BR11PC-5283, BR07PA-7156 एवं BR39G-4220 के वाहन स्वामी द्वारा गेराबाड़ी मध्य बिन्दु पर 2 मिनट के समय अंतराल रखने पर आपत्ती दी गई है। इनके द्वारा प्रस्थान बिन्दु पर 10 मिनट एवं मध्य बिन्दु पर 8 मिनट के अंतराल की मांग की गई है। क्योकि फलका–कटिहार मार्ग पर मात्र एक बिन्दु गेराबाड़ी है।	**गेराबाड़ी प्रस्थान बिन्दु 10:19, 12:44, 14:10 एवं 16:31 से संशोधित कर एक सप्ताह हेतु समय–सारणी प्रकाशित करायी जाएगी। आपत्ति प्राप्त नही होने पर परमिट निर्गत कर दी जाएगी। आपत्ति प्राप्त होने पर प्राधिकार के अगली बैठक में सुनवाई हेतु रखा जाएगा। इसे भविष्य के लिए उद्धरण रूप में नहीं समझा जाय।**

कार्यावली सं0–05.(क)

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के अंतर्गत अधिसूचित मार्गो का रूट कोड विभाग द्वारा आनलाईन नहीं कराये जाने के कारण लाभुकों से प्राप्त आवेदन पर परमिट देने में हो रही कठिनाई पर विमर्श किया गया बताया गया कि अधिसूचित मार्गो के भाया बिन्दु में विसंगति के कारण विभाग द्वारा रूट को आनलाईन करने में कठिनाई हो रही है।

निर्णय में लिया गया कि इस योजना अंर्तगत प्रमंड़ल के सभी जिलों से अनुसंशित परिचालन मार्ग एवं इस कार्यालय द्वारा विभाग को प्रेषित परिचालन मार्ग की सूची सभी संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जाय। जिला स्तर पर गठित समिति इन परिचालन मार्गो की जॉच कर इसके विसंगतियो को सुधार करते हुए एक सप्ताह के अंदर संशोधित सूची प्राधिकार को उपलब्ध करा देगें ताकि इसे आवश्यक कारवाई हेतु विभाग को प्रेषित किया जा सके।

कार्यावली सं0–6

प्राधिकार की बैठक दिनांक– 28.09.2024 के बाद जीप/ऑटो रिक्शा के निर्गत स्थायी/अस्थायी परमिट का ब्यौराः–

(क) जीप एवं सदृश्य वाहनों के कोई स्थायी परमिट निर्गत नहीं किया गया है।
(ख) कुल–01 ऑटो रिक्शा के स्थायी परमिट निर्गत किया गया है।
(ग) ट्रैक्टर ट्रैलर के स्थायी/नवीकरण परमिट निर्गत नहीं किया गया है।
(घ) ट्रक/पी भान के कोई अस्थायी परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

अंत में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

ह0/
(रवि राकेश)
(अपर समाहर्त्ता)
सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
पूर्णिया।

ह0/–
(शाहिद परवेज)
संयुक्त आयुक्त सह सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
पूर्णिया।

ह0/–
(संजय दूबे)
आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल,
–सह–अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार
पूर्णिया।

ज्ञापांक 1325 दिनांक 21-10-2024

प्रतिलिपिः– 01. राज्य परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– 02. अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य, पूर्णिया को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– 03. जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21.10.24

(शाहिद परवेज)
संयुक्त आयुक्त सह सचिव
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार
पूर्णिया।